भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 207

जिसका उत्तर 20 जुलाई, 2021/29 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया गया

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता

207. श्री नीरज डांगी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, तत्संबंधी वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राजस्थान में कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश की गई धनराशि का वर्ष-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समय से पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): नाबार्ड विभिन्न निधियों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

1. अवसंरचना सहायता :

महत्वपूर्ण ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्यों को अल्प लागत निधि सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने नाबार्ड में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना की थी। विगत तीन वर्ष, अर्थात 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21, के दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को आरआईडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत तथा संवितरित ऋणों का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। ऋणों का क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

नाबार्ड अभिचिन्हित सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिए दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) के अंतर्गत राज्यों के हिस्से के रूप में राज्यों को वित्तीय सहायता उपलबध कराता है। विगत तीन वर्ष के दौरान राज्यों (राजस्थान सहित) को मंजूर किए गए तथा जारी किए गए ऋणों का ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

2. भंडारण तथा विपणन सहायता :

विगत तीन वर्ष अर्थात 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को वेयर हाउस अवसंरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) तथा खाद्य प्रोसेसिंग निधि (एफपीएफ) के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध-IV तथा V में दिया गया है। डब्ल्यूआईएफ तथा एफपीएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता अल्प लागत सावधि ऋण के माध्यम से दी जाती है जिसका उपयोग विशिष्ट रूप से भंडारण तथा प्रोसेसिंग अवसंरचना के विकास के लिए किया जाता है जिससे कृषि/कृषि भूमि क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। अत: डब्ल्यूआईएफ/एफपीएफ सहायता से क्षेत्र में निवेश सुसंबद्ध होगा तथा दीर्घावधि लाभ देने वाली पूंजी आस्तियाँ सृजित होगी।

3. विकासात्मक सहायता :

नाबार्ड द्वारा वाटरशेड विकास निधि, जनजातीय विकास निधि, कृषक उत्पादक संगठन तथा कृषि भूमि क्षेत्र प्रोत्साहन निधि के संबंध में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध-VI से X में दिया गया है।

फसलों की खेती के लिए किसानों की अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं, कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों तथा उनकी अन्य जरूरतों के लिए निवेश ऋण आवश्यकता के संबंध में किसानों को प्रभावी तथा निर्बाध रूप से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सरकार प्रति वर्ष बैंकिंग क्षेत्र के लिए कृषि ऋण संवितरण लक्ष्य निर्धारित करती है तथा बैंकों ने निरंतर इन लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

विगत तीन वर्ष के दौरान राजस्थान राज्य सहित बुनियादी स्तर के ऋण (जीएलसी) संबंधी राज्य-वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां अनुबंध-XI में दी गयी हैं।

भारत सरकार की विभिन्न अवसंरचना विकास निधियों के अंतर्गत राजस्थान सरकार को दी गयी वित्तीय सहायता का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध-XII में दिया गया है।

(ग) : 1. आरआईडीएफ की निगरानी :

आरआईडीएफ के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों के क्रियान्वयनकर्ता विभाग की होती है।

इसकी प्रगति की निगरानी नाबार्ड द्वारा निर्धारित प्रतिफल, क्रियान्वयनकर्ता विभाग के साथ आवधिक समीक्षा तथा राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के स्तर पर सुनिश्चित की जाती है। परियोजना स्थलों पर मंजूरी संबंधी ब्यौरों इत्यादि के साथ प्रदर्शन पट्ट लगाकर परियाजनाओं की सामाजिक निगरानी सुनिश्चित की जाती है।

2. एलटीआईएफ तथा एमआईएफ की निगरानी:

दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) का नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) है। एलटीएफ के अंतर्गत बनाए गए संस्था के अंतर्नियम (एमओए) के प्रावधानों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकार की क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी/विभाग की होती है।

3. अन्य परियोजनाओं की निगरानी:

मंजूर की गई परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड का अपना निगरानी तंत्र है।

*****

अनुबंध I

आरआईडीएफ- विगत तीन वर्ष के दौरान मंजूरी तथा संवितरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	मंजूर			संवितरण *		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	1309.62	1199.17	1793.60	1243.85	1200.00	1360.57
2	अरुणाचल प्रदेश	341.97	304.72	347.75	251.71	183.19	251.71
3	असम	1397.73	1009.86	1149.09	967.03	1225.67	1236.18
4	बिहार	1631.64	1643.10	2399.53	1659.02	1834.19	2116.01
5	छत्तीसगढ	1144.28	1038.81	1432.38	914.32	963.83	921.98
6	गोवा	156.48	92.87	344.30	101.37	53.79	250.00
7	गुजरात	2423.59	2678.60	2989.77	2575.04	2860.93	2427.32
8	हरियाणा	1299.29	1295.21	1129.60	828.04	715.18	1029.81
9	हिमाचल प्रदेश	544.21	752.47	844.22	625.76	698.75	663.53
10	जम्मू और कश्मीर	453.45	462.63	786.95	400.00	384.14	319.07
11	झारखंड	1509.49	1868.47	2026.08	1770.42	1433.24	1558.31
12	कर्नाटक	809.75	836.69	1076.31	788.75	894.26	1117.48
13	केरल	726.56	549.84	534.74	651.71	599.10	569.14
14	लद्दाख (सं.शा.क्षेत्र)						
15	मध्य प्रदेश	2236.87	2464.50	2758.50	1828.44	1685.54	2260.24
16	महाराष्ट्र	2202.62	2083.01	1309.35	937.70	1581.77	1245.32
17	मणिपुर	0.00	69.38	139.29	12.50	35.76	15.67
18	मेघालय	210.97	204.75	209.55	152.33	126.48	173.29
19	मिजोरम	165.48	94.27	266.35	122.95	127.64	151.86
20	नागालैंड	17.86	21.19	27.53	20.00	23.53	23.47
21	उड़ीसा	2474.27	2573.86	3234.25	2749.63	2407.94	2732.75
22	पुदुच्चेरी	18.04	0.00	55.36	26.73	15.22	7.36
23	पंजाब	452.97	594.43	563.66	198.43	300.00	600.00
24	राजस्थान	1713.71	1556.32	1702.20	1525.27	1215.80	1813.72
25	सिक्किम	36.73	34.61	51.06	50.00	9.23	70.77
26	तमिलनाडु	2185.21	2243.40	2412.64	1944.91	1905.63	1963.50
27	तेलंगाना	1325.03	1050.68	1142.55	1330.91	933.67	703.18
28	त्रिपुरा	152.22	221.92	304.46	149.37	150.00	311.23
29	उत्तर प्रदेश	1606.95	1602.12	1709.27	1957.62	1295.36	1708.55
30	उत्तराखंड	670.96	561.34	429.81	766.57	664.17	526.30
31	पश्चिम बंगाल	1267.35	1233.87	1659.62	1072.92	741.53	1065.17
	कुल :	**30485.30**	**30342.09**	**34829.78**	**27623.30**	**26265.51**	**29193.48**

*** वर्ष के दौरान किये गये संवितरण, जारी किश्तों केअंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं से संबंधित है।**

आरआईडीएफ- विगत तीन वर्ष के दौरान क्षेत्र वार संवितरण रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	कृषि क्षेत्र (सिंचाई सहित)			ग्रामीण कनेक्टिविटी			सामाजिक क्षेत्र					
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1	आंध्र प्रदेश	342.91	166.01	67.94	444.16	374.60	121.54	456.78	659.39	1171.09	1243.85	1200.00	1360.57
2	अरुणाचल प्रदेश	36.90	17.73	18.22	167.52	106.80	133.75	47.28	58.66	99.74	251.71	183.19	251.71
3	असम	312.16	544.12	249.70	523.30	483.93	784.38	131.57	197.62	202.10	967.03	1225.66	1236.18
4	बिहार	359.50	597.61	246.26	1176.77	1041.31	985.72	122.75	195.26	884.03	1659.02	1834.19	2116.01
5	छत्तीसगढ़	676.78	676.82	652.09	154.64	228.65	197.09	82.91	58.35	72.80	914.32	963.82	921.98
6	गोवा	32.13	15.30	35.79	1.78	2.12	3.39	67.46	36.38	210.82	101.37	53.79	250.00
7	गुजरात	2536.24	2751.58	2285.95	0.00	0.00	0.00	38.81	109.35	141.37	2575.04	2860.93	2427.32
8	हरियाणा	403.94	245.21	507.70	125.39	180.51	280.20	298.70	289.46	241.90	828.04	715.18	1029.80
9	हिमाचल प्रदेश	130.67	213.96	178.97	353.83	376.09	336.46	141.26	108.69	148.10	625.76	698.74	663.53
10	जम्मू और कश्मीर	23.22	43.37	46.38	198.67	214.11	157.57	178.11	126.67	115.12	400.00	384.15	319.07
11	झारखंड	356.97	220.59	382.54	1167.67	974.98	957.54	245.78	237.67	218.23	1770.42	1433.24	1558.31
12	कर्नाटक	**283.15**	**236.37**	**526.39**	**275.48**	**322.20**	**153.00**	**230.12**	**335.69**	**438.09**	**788.75**	**894.26**	1117.48
13	केरल	166.93	193.81	220.82	235.02	181.29	208.07	249.76	224.00	140.25	651.71	599.10	569.14
14	मध्य प्रदेश	1193.46	1076.67	1814.56	283.39	268.02	82.10	351.60	340.85	363.58	1828.44	1685.54	2260.24
15	महाराष्ट्र	661.95	1099.57	873.38	275.75	482.20	371.94		0.00	0.00	937.70	1581.77	1245.32
16	मणिपुर	0.00	22.31	1.39	0.00	0.00	10.01	12.50	13.44	4.27	12.50	35.75	15.67
17	मेघालय	57.62	18.77	30.56	73.01	68.62	91.02	21.69	39.09	51.71	152.33	126.48	173.29
18	मिजोरम	21.11	18.48	6.35	66.61	65.03	88.46	35.23	44.12	57.05	122.95	127.63	151.86
19	नागालैंड	6.64	15.38	16.15	13.36	8.15	7.32		0.00		20.00	23.53	23.47
20	उड़ीसा	1805.12	1220.75	1232.97	650.32	719.64	693.35	294.19	467.54	806.42	2749.63	2407.94	2732.75
21	पुदुच्चेरी	5.55	6.50	0.26	9.23	2.31	1.31	11.95	6.42	5.79	26.73	15.23	7.36
22	पंजाब	45.60	153.85	222.88	115.05	104.38	58.98	37.78	41.77	318.14	198.43	300.00	600.00
23	राजस्थान	289.37	317.14	441.33	502.51	329.25	365.77	733.40	569.41	1006.62	1525.27	1215.80	1813.72
24	सिक्किम	0.00	0.00	0.90	48.00	8.18	66.39	2.00	1.04	3.48	50.00	9.23	70.77
25	तमिलनाडु	611.31	621.18	698.70	615.88	439.74	506.85	717.72	844.70	757.95	1944.91	1905.62	1963.50
26	तेलंगाना	19.06	216.47	419.18	70.14	35.59	27.71	1241.72	681.60	256.29	1330.91	933.66	703.18
27	त्रिपुरा	9.86	37.63	103.57	102.42	93.44	137.49	37.08	18.93	70.17	149.37	150.00	311.23
28	उत्तर प्रदेश	1175.72	478.37	618.19	781.90	816.99	1090.36		0.00	0.00	1957.62	1295.36	1708.55
29	उत्तराखंड	174.75	211.75	120.19	383.16	280.27	331.28	208.66	172.15	74.83	766.57	664.17	526.30
30	पश्चिम बंगाल	653.54	368.59	507.29	396.47	323.42	515.24	22.9087	49.52566	42.64	1072.92	741.53	1065.17
कुल		**12392.16**	**11805.90**	**12526.60**	**9211.45**	**8531.84**	**8764.29**	**6019.69**	**5927.76**	**7902.59**	**27623.30**	**26265.50**	**29193.48**

अनुबंध -III

एलटीआइएफ (राज्य का शेयर)- राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	राज्य के शेयर के रूप में मंजूर ऋण (वर्ष 2016-17 से 2020-21)@@	संवितरण (राज्य का शेयर)		
			2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	513.87	0.00	0.00	0.00
2	असम	116.01	0.00	0.00	108.10
3	बिहार	-	-	-	-
4	छत्तीसगढ़	80.07	0.00	0.00	0.00
5	गोवा	-	-	-	-
6	गुजरात	3611.03	1330.23	897.76	0.00
7	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-
8	झारखंड	518.10	0.00	0.00	0.00
9	कर्नाटक	-	-	-	-
10	केरल	-	-	-	-
11	मध्य प्रदेश	2863.18	0.00	265.36	85.15
12	महाराष्ट्र	18021.35	3293.88	3267.70	1115.93
13	मणिपुर	390.37	167.49	24.90	158.32
14	उड़ीसा	5614.22	739.00	737.30	608.33
15	पंजाब	-	-	-	-
16	राजस्थान	**423.06**	**103.12**	**26.96**	**87.62**
17	तेलंगाना	-	-	-	-
18	उत्तर प्रदेश	6431.34	2675.11	1436.50	1441.45
	कुल –योग	**38582.60**	**8308.83**	**6656.48**	**3604.90**

i. अभिचिन्हित एलटीआईएफ परियोजनाओं वाले राज्यों की कुल संख्या – 18

ii. इनमें से राज्य के शेयर के रूप में ऋण प्राप्त करने हेतु एमओए में शामिल राज्यों की संख्या -13

iii. इनमें से वे राज्य जो एमओए में शामिल नहीं हैं -05 (तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा केरल)

@@ एलटीआईएफ के अंतर्गत मंजूरी वार्षिक आधार पर नहीं होती है। अत: संचयी स्थिति दर्शायी गई है। किसी विशेष परियोजना के संबंध में उपलब्ध संचयी मंजूरी से राशि निर्गत की जाती है

अनुबंध - IV

वेयरहाउस अवसंरचना निधि

विगत तीन वर्ष में राज्य वार ऋण मंजूरी तथा संवितरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	मंजूरी			संवितरण		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	87.16	11.40	0.00
2	असम	0.00	0.00	0.00	30.59	8.57	8.07
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	71.17	20.02	0.00
4	छत्तीसगढ़	11.75	20.37	0.00	2.35	5.85	12.86
5	गुजरात	52.51	0.00	0.00	67.86	35.09	48.19
6	हरियाणा	0.00	140.29	0.00	14.44	6.37	27.54
7	हिमाचल प्रदेश	4.18	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कर्नाटक	421.56	190.95	0.00	210.01	179.83	201.65
11	केरल	10.83	0.00	0.00	0.00	0.85	0.83
12	मध्य प्रदेश	0.00	200.07	200.07	0.00	0.00	40.00
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मिजोरम	11.02	56.44	0.00	2.85	4.28	18.15
16	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00
18	पंजाब	206.64	0.00	0.00	41.33	29.47	11.42
19	राजस्थान	60.10	94.15	0.00	16.70	24.10	13.00
20	तमिलनाडु	502.87	207.02	0.00	406.66	355.40	331.89
21	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	30.86	46.82	19.73
22	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.58
23	उत्तर प्रदेश	0.00	146.86	0.00		29.37	82.62
24	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
25	पश्चिम बंगाल	177.50	0.00	0.00	100.96	85.78	91.55
	कुल	**1458.96**	**1056.16**	**200.07**	**1089.49**	**844.47**	**909.08**

नोट : कुछ परियोजनाओं को पूर्व की परियोजनाओं के विलोप के बदले स्वीकृत किया गया है।

अनुबंध- V

एफपीएफ विगत तीन वर्ष के दौरान राज्य-वार मंजूरी तथा संवितरण

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	मंजूर			संवितरण		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2	असम	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00	6.90
3	बिहार	0.00	0.00	0.00	4.00	11.00	0.00
4	छत्तीसगढ	0.00	0.00	0.00	0.00	12.13	1.43
5	गुजरात	0.00	8.40	15.00	5.00	0.00	10.87
6	हरियाणा	0.00	62.00	0.00	22.24	0.00	7.46
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	7.28	0.00	3.29	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	कर्नाटक	0.00	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
11	केरल	0.00	0.00	10.00	11.33	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	0.00	13.99	4.25	14.50	13.09	5.60
13	महाराष्ट्र	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	1.37
14	मणिपुर	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00	6.00
15	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	पंजाब	0.00	14.00	0.00	0.00	3.77	0.00
19	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	तमिलनाडु	0.00	0.00	68.10	0.00	0.00	13.61
21	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	उत्तराखंड	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**61.80**	**149.27**	**116.49**	**57.07**	**43.28**	**53.24**

* *

नोट: * मंजूरी के पश्चात कार्य के आरंभ होने में विलंब के कारण, उधारकर्ता के अनुरोध पर 82.80 करोड़ रुपये के बैंक ऋण वाली परियोजनाओं का विलोप कर दिया है।

अनुबंध VI

विगत तीन वर्ष के दौरान जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत दी गई अनुदान सहायता

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19		2019-20		2020-21	
		मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण
1	आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	अरुणाचल प्रदेश	2391.5	0.0	0.0	260.6	0.0	896.0
3	असम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	बिहार	0.0	695.7	0.0	0.0	0.0	422.0
5	छत्तीसगढ़	0.0	0.0	0.0	276.0	0.0	507.2
6	गुजरात	0.0	0.0	0.0	853.6	0.0	610.9
7	हरियाणा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	हिमाचल प्रदेश	0.0	485.4	0.0	0.0	0.0	455.4
9	जम्मू और कश्मीर	0.0	506.7	0.0	0.0	0.0	0.0
10	झारखंड	0.0	273.0	0.0	0.0	0.0	695.7
11	कर्नाटक	0.0	0.0	0.0	499.8	0.0	231.0
12	केरल	0.0	0.0	0.0	434.1	0.0	291.3
13	मध्य प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	650.4
14	महाराष्ट्र	0.0	725.8	0.0	0.0	0.0	0.0
15	मणिपुर	0.0	411.5	0.0	194.2	0.0	0.0
16	मेघालय	0.0	989.4	0.0	479.2	0.0	626.4
17	मिजोरम	0.0	101.5	0.0	0.0	0.0	506.1
18	नागालैंड	0.0	0.0	0.0	485.5	0.0	0.0
19	उड़ीसा	0.0	644.5	0.0	0.0	0.0	542.2
20	पुदुच्चेरी	0.0	0.0	0.0	543.1	0.0	0.0
21	पंजाब	0.0	0.0	0.0	520.5	0.0	101.7
22	पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान (क्षेत्रीय परियोजना 1)	0.0	2227.3	0.0	753.0	0.0	1409.7
23	पंजाब	0.0	468.6	0.0	680.0	0.0	1346.9
24	हरियाणा	0.0	921.7	0.0	72.9	0.0	62.7
25	राजस्थान	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
26	उत्तर प्रदेश	0.0	830.5	0.0	0.0	0.0	0.0
27	राजस्थान	0.0	970.2	0.0	0.0	0.0	0.0
28	सिक्किम	0.0	1302.5	0.0	0.0	0.0	826.3
29	तमिलनाडु 1	0.0	521.8	0.0	567.7	0.0	131.2
30	तमिलनाडु 2	2380.3	0.0	0.0	401.3	0.0	0.0
31	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1066.5
32	तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र (क्षेत्रीय परियोजना 2)	12610.0	0.0	0.0	2801.2	0.0	0.0
33	तेलंगाना	2389.0	0.0	0.0	537.5	0.0	0.0
34	महाराष्ट्र	2163.0	0.0	0.0	633.8	0.0	0.0
35	राजस्थान	7691.0	0.0	0.0	1630.0	0.0	0.0
36	यूपी	0.0	600.9	0.0	0.0	0.0	699.1
37	पश्चिम बंगाल	0.0	0.0	0.0	643.0	0.0	818.8
	कुल	**29624.8**	**10456.3**	**0.0**	**9712.9**	**0.0**	**11488.0**

अनुबंध VII

वाटरशेड विकास निधि
विगत तीन वर्ष के दौरान दी गई अनुदान सहायता

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
		मंजूर	संवितरण	मंजूर	संवितरण	मंजूर	संवितरण
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1152.36	1145.49	802.52	655.91	271.00	271.00
3	अरुणाचल प्रदेश	11.75		20.00	26.01	44.31	21.10
4	असम	44.50	0.93	100.50	0.00	18.80	0.00
5	बिहार	413.00	201.05	592.47	507.21	659.40	671.17
6	छत्तीसगढ़	579.03	465.42	664.76	319.57	524.35	100.06
7	गुजरात	447.00	473.47	179.27	124.89	170.70	170.70
8	हरियाणा	110.00	103.84	485.59	129.76	403.36	55.60
9	हिमाचल प्रदेश	106.75	117.86	183.59	244.45	301.00	300.96
10	जम्मू	42.50	44.66	46.00	26.42	68.25	57.90
11	झारखंड	270.00	269.59	572.00	657.46	873.00	920.64
12	कर्नाटक	967.62	1048.94	435.00	476.11	549.00	549.00
13	केरल	171.50	181.50	414.93	421.99	647.24	1208.81
14	मध्य प्रदेश	356.53	353.55	409.49	361.81	374.18	374.34
15	महाराष्ट्र	1307.00	1112.03	1065.06	1049.12	1380.00	1400.60
16	मणिपुर	28.00	5.62	52.00	47.75	65.00	39.70
17	मेघालय	8.33	1.88	23.00	9.81	56.00	58.65
18	मिजोरम	50.45	5.92	63.43	14.60	81.88	64.76
19	नागालैंड	120.75	45.86	54.00	54.00	122.27	123.59
20	उड़ीसा	1002.07	1222.47	947.00	948.58	627.00	627.00
21	पंजाब	0.00	0.00	125.00	0.00	149.90	10.81
22	राजस्थान	1082.90	782.07	414.14	7.09	92.15	74.74
23	सिक्किम	18.50	4.18	40.00	1.71	21.00	27.19
24	तमिलनाडु	855.00	1004.50	867.34	856.39	836.63	866.23
25	तेलंगाना	1164.39	1043.01	735.63	710.96	596.25	590.49
26	त्रिपुरा	6.00		10.00	0.00	10.00	0.58
27	उत्तर प्रदेश	365.50	367.27	635.00	239.41	724.41	727.87
28	उत्तराखंड	51.40	53.03	140.53	164.76	157.80	137.17
29	पश्चिम बंगाल	189.81	189.81	350.00	344.26	300.00	299.52
	कुल	**10922.65**	**10243.95**	**10428.25**	**8400.04**	**10125.88**	**9750.18**

अनुबंध VIII

विगत तीन वर्ष के दौरान जनजातीय विकास निधि के अंतर्गत मंजूर किए गए तथा संवितरित अनुदान

राशि लाख रुपये में

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
		मंजूरी	संवितरण*	मंजूरी	संवितरण*	मंजूरी	संवितरण*
1	अंडमान और निकोबार	0.50	0.22	0.50	0.50	30.50	0.00
2	आंध्र प्रदेश	636.00	396.43	329.10	287.60	152.00	177.37
3	अरुणाचल प्रदेश	28.20	3.19	10.00	0.00	44.00	0.20
4	असम	383.00	382.72	401.00	390.02	530.00	347.16
5	बिहार	448.00	351.28	481.66	479.67	655.00	568.38
6	छत्तीसगढ़	2083.00	1068.44	1078.13	793.74	618.00	338.57
7	गुजरात	562.48	550.88	685.00	797.73	700.00	703.08
8	हिमाचल प्रदेश	105.38	106.85	173.50	166.25	356.00	263.12
9	जम्मू और कश्मीर	138.50	104.10	133.46	157.36	135.00	98.12
10	झारखंड	509.98	509.98	515.00	541.80	775.00	786.49
11	कर्नाटक	366.00	298.68	285.00	228.36	680.00	466.15
12	केरल	257.00	257.00	267.08	280.69	271.00	297.86
13	मध्य प्रदेश	515.00	513.23	515.00	515.00	401.00	412.02
14	महाराष्ट्र	743.00	738.76	470.00	470.22	450.00	455.40
15	मणिपुर	62.00	36.84	105.00	151.11	206.00	157.29
16	मेघालय	227.00	206.92	231.92	167.67	246.00	224.07
17	मिजोरम	144.62	138.30	173.43	53.90	141.00	140.39
18	नागालैंड	114.00	111.15	127.20	127.00	123.00	123.00
19	उड़ीसा	777.00	777.15	700.26	656.15	731.00	739.60
20	राजस्थान	944.00	914.64	880.00	536.67	678.00	701.36
21	सिक्किम	90.68	86.68	44.00	51.31	66.00	65.31
22	तमिलनाडु	478.00	467.79	487.50	323.25	366.00	370.75
23	तेलंगाना	554.00	128.81	400.00	240.16	320.00	333.20
24	त्रिपुरा	70.00	12.97	30.00	6.18	115.00	16.93
25	उत्तर प्रदेश	600.00	559.36	587.58	615.81	635.00	644.14
26	उत्तराखंड	69.00	61.43	100.51	95.60	139.00	35.20
27	पश्चिम बंगाल	1352.38	1353.38	925.00	925.27	751.00	757.75
	कुल	**12258.72**	**10137.18**	**10136.83**	**9059.02**	**10314.50**	**9222.89**

** संबंधित वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए संवितरण के अतिरिक्त विगत वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए किए गए संवितरण के कारण कतिपय मामलों में मंजूरी संवितरण से अधिक है।*

अनुबंध IX

कृषक उत्पादक संगठन

विगत तीन वर्ष के दौरान दी गई अनुदान सहायता

लाख रुपये में

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
		मंजूरी	संवितरण*	मंजूरी	संवितरण*	मंजूरी	संवितरण*
1	अंडमान और निकोबार	0.00	2.35	0.00	1.40	0.00	0.20
2	आंध्र प्रदेश	1266.00	245.86	1144.00	599.83	177.48	330.61
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.10	91.52	7.85	22.88	26.06
4	असम	0.00	51.41	34.32	60.73	70.19	50.78
5	बिहार	252.00	227.38	442.50	216.31	530.36	175.08
6	छत्तीसगढ़	10.68	42.42	50.62	114.74	20.15	42.37
7	गोवा	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	200.92	95.83	583.44	153.78	40.60	187.18
9	हरियाणा	50.00	108.76	521.88	171.77	40.48	89.08
10	हिमाचल प्रदेश	49.36	97.36	536.52	73.05	132.50	160.38
11	जम्मू और कश्मीर	51.39	11.79	22.88	35.84	7.03	22.66
12	झारखंड	255.00	53.98	578.38	219.95	42.25	238.59
13	कर्नाटक	130.00	200.97	1230.06	440.60	485.68	616.97
14	केरल	41.44	160.78	167.73	208.95	87.17	149.28
15	मध्य प्रदेश	336.00	249.08	729.84	224.61	375.08	332.46
16	महाराष्ट्र	201.50	224.54	1043.64	313.61	500.44	386.02
17	मणिपुर	0.00	9.81	68.64	23.43	28.10	16.70
18	मेघालय	0.00	17.86	34.32	7.41	0.00	5.10
19	मिजोरम	4.00	36.93	57.20	6.45	57.20	4.74
20	नागालैंड	57.20	1.82	0.00	16.87	0.00	15.66
21	नई दिल्ली	11.44	0.91	0.00	0.00	0.00	3.42
22	उड़ीसा	450.00	132.17	320.32	427.61	102.88	285.54
23	पंजाब	78.32	85.34	183.73	109.88	69.90	80.91
24	राजस्थान	240.24	128.21	137.28	71.87	22.88	68.36
25	सिक्किम	0.00	5.04	22.88	10.98	22.88	18.89
26	तमिलनाडु	88.00	204.79	1206.96	425.12	403.88	342.68
27	तेलंगाना	2360.19	149.44	2574.72	593.26	507.47	522.91
28	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00
29	उत्तर प्रदेश	591.50	178.18	217.36	190.82	479.43	160.44
30	उत्तराखंड	425.20	82.21	220.80	180.29	78.52	103.49
31	पश्चिम बंगाल	300.96	345.59	150.86	93.67	395.87	266.39
32	प्रधान कार्यालय, मुंबई	208.33	208.33	2.15	276.48	136.39	223.91
	कुल	**7659.67**	**3361.43**	**12374.55**	**5278.80**	**4837.67**	**4926.84**

* संदर्भित वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए संवितरण के अतिरिक्त विगत वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए संवितरण किया जाता है।

अनुबंध X

कृषि भूमि क्षेत्र प्रोत्साहन निधि (एफएसपीएफ) के अंतर्गत अनुदान सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	2018-19	2019-20	2020-21
1	अंडमान और निकोबार	23.97	40.61	56.84
2	आंध्र प्रदेश	94.38	103.03	72.67
3	अरुणाचल प्रदेश	8.60	6.64	10.33
4	असम	88.42	62.43	44.50
5	बिहार	112.88	103.81	68.69
6	छत्तीसगढ़	8.28	16.07	7.11
7	गोवा	11.09	12.39	13.95
8	गुजरात	65.36	37.52	78.29
9	हरियाणा	75.86	71.92	41.27
10	हिमाचल प्रदेश	23.64	36.47	53.71
11	जम्मू और कश्मीर	38.91	36.24	34.79
12	झारखंड	32.54	32.54	35.97
13	कर्नाटक	59.03	80.04	123.72
14	केरल	59.16	63.41	65.75
15	मध्य प्रदेश	160.96	159.34	137.64
16	महाराष्ट्र	83.54	70.63	51.71
17	मणिपुर	18.90	12.62	13.55
18	मेघालय	3.76	4.62	4.84
19	मिजोरम	52.58	26.16	45.06
20	नागालैंड	5.14	4.88	11.61
21	नई दिल्ली	0.00	0.00	1.95
22	उड़ीसा	120.61	108.40	106.30
23	पंजाब	143.09	53.18	71.24
24	राजस्थान	62.54	46.43	33.04
25	सिक्किम	13.74	8.31	9.00
26	तमिलनाडु	181.94	93.24	92.12
27	तेलंगाना	109.60	123.30	80.48
28	त्रिपुरा	1.02	5.00	8.15
29	उत्तर प्रदेश	240.60	171.37	225.94
30	उत्तराखंड	59.58	36.37	44.92
31	पश्चिम बंगाल	150.81	149.03	111.73
	कुल	**2110.50**	**1776.00**	**1756.85**

अनुबंध XI

कृषि को दिए गए जीएलसी ऋण – राज्य-वार आंकड़े

		2018-19		2019-20		2020-21	
		(राशि करोड़ रुपए में)		(राशि करोड़ रुपए में)		(राशि करोड़ रुपए में)	
क्र. सं.	राज्य/क्षेत्र	जीएलसी लक्ष्य	जीएलसी उपलब्धियां	जीएलसी लक्ष्य	जीएलसी उपलब्धियां	जीएलसी लक्ष्य	जीएलसी उपलब्धियां
1	दिल्ली	684	24,422	1,070	21,542	1,499.00	13,701.42
2	हरियाणा	67,012	63,126	78,444	63,700	70,000.00	58,763.78
3	हिमाचल प्रदेश	6,665	9,018	10,280	7,730	12,000.00	7,223.46
4	जम्मू और कश्मीर	7,556	13,117	13,131	13,400	16,001.00	15,904.70
5	पंजाब	87,182	76,859	91,939	79,530	92,001.00	66,318.10
6	राजस्थान	80,738	83,267	108,002	92,403	109,282.26	97,642.80
7	चंडीगढ़ यूटी	113	1,991	424	1,341	1,485.00	1,035.48
8	अरुणाचल प्रदेश	448	55	662	109	540.00	252.01
9	असम	8,537	6,941	11,346	7,536	11,419.80	11,027.52
10	मणिपुर	779	248	933	308	742.00	297.82
11	मेघालय	790	197	987	202	695.00	247.32
12	मिजोरम	326	363	520	166	761.36	299.00
13	नागालैंड	458	209	623	278	421.00	239.73
14	सिक्किम	296	156	345	171	285.00	270.03
15	त्रिपुरा	2,117	2,644	2,799	2,775	4,367.17	3,785.88
16	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	267	129	349	149	400.00	626.95
17	बिहार	40,221	32,153	50,396	40,263	63,316.72	44,721.12
18	झारखंड	7,835	3,960	9,026	5,357	10,399.00	6,653.83
19	उड़ीसा	32,256	27,347	38,849	24,821	39,999.00	31,122.66
20	पश्चिम बंगाल	64,071	45,941	74,960	54,123	84,858.00	61,733.45
21	छत्तीसगढ	14,116	10,329	19,693	15,022	20,001.00	18,604.65
22	मध्य प्रदेश	74,005	62,113	89,714	61,385	91,449.00	78,070.37
23	उत्तराखंड	10,678	10,274	12,810	10,478	19,999.00	9,245.73
24	उत्तर प्रदेश	117,350	88,647	133,331	106,561	140,001.00	113,003.42
25	गोवा	1,515	1,331	1,674	992	1,800.00	1,474.58
26	गुजरात	59,410	66,558	74,867	71,661	80,001.00	83,739.50
27	महाराष्ट्र	81,335	86,809	97,499	81,154	114,321.00	95,429.42
28	दादर और नगर हवेली यूटी	132	62	171	111	220.00	550.47
29	दमन और दीव यूटी	58	44	73	23	81.00	646.61
30	आंध्र प्रदेश	65,666	124,500	80,794	136,414	101,829.00	162,807.89
31	तेलंगाना	55,785	57,606	62,325	63,290	74,536.00	66,822.86
32	कर्नाटक	60,506	72,880	80,141	85,121	91,309.00	110,081.25
33	केरल	44,805	90,632	77,519	96,699	101,736.00	94,844.46
34	पुदुच्चेरी	4,711	2,782	4,814	3,299	5,002.00	5,515.02
35	तमिलनाडु	101,514	188,050	119,335	225,644	136,944.00	253,319.66
36	लक्षद्वीप यूटी	63	3	154	5	299.00	2,449.11
	समग्र कुल	**1,100,000**	**1,254,762**	**1,350,000**	**1,373,766**	**1,500,000**	**1,518,472**

आंकड़े स्रोतः नाबार्ड

अनुबंध- XII

भारत सरकार की विभिन्न अवसंरचना निधियों के अंतर्गत राजस्थान सरकार को दी गयी वित्तीय सहायता का जिला-वार ब्यौरा

लाख रुपए में

क्र. सं.	जिला	आरआईडीएफ	डब्ल्यूआईएफ	एलटीआईएफ	कुल
1	अजमेर	12480.37			12480.37
2	अलवर	10948.20	4707.50		15655.70
3	बांसवाड़ा	36459.78			36459.78
4	बारां	15844.11			15844.11
5	बाड़मेर	8200.94		6269.00	14469.94
6	भरतपुर	10602.54			10602.54
7	भीलवाड़ा	39160.54			39160.54
8	बीकानेर	23650.13	1926.00		25576.13
9	बूंदी	16573.87			16573.87
10	चित्तौड़गढ़	9784.71			9784.71
11	चुरू	7860.63			7860.63
12	दौसा	9861.12			9861.12
13	धौलपुर	7527.17			7527.17
14	डूंगरपुर	28207.50			28207.50
15	हनुमानगढ़	6787.77			6787.77
16	जयपुर	15691.06			15691.06
17	जैसलमेर	9633.59	3029.00		12662.59
18	जालौर	33821.39			33821.39
19	झालावाड़	7548.14			7548.14
20	झुंझुनूं	9115.67			9115.67
21	जोधपुर	8311.21			8311.21
22	करौली	14501.06			14501.06
23	कोटा	20290.24			20290.24
24	नागौर	10375.14			10375.14
25	पाली	22178.99	193.00		22371.99
26	प्रतापगढ़	5245.35			5245.35
27	राजसमंद	7888.07	752.00		8640.07
28	सवाई माधोपुर	18344.43			18344.43
29	सीकर	15978.77			15978.77
30	सिरोही	14463.91			14463.91
31	श्री गंगानगर	5728.41	4707.50	16405.00	26840.91
32	टोंक	12252.79			12252.79
33	उदयपुर	21903.94	110.00		22013.94
कुल		**497221.54**	**15425.00**	**22674.00**	**535320.54**